फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

बनवारी बनाम सुशीला

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 132 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
10.09.2021	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल न0 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 160/124 की कुल 16.9730हैक भूमि जो राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही जावे यदि इस सम्बध में गैरसायलान को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । खाला व रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 07.12.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर उपखण्ड अधिकारी नोहर पत्रावली प्र[illegible] गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प ......[illegible]...... पेश हो।	
8/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प ......[illegible]...... पेश हुई ......[illegible]...... [illegible] ...... [illegible] दिनांक 29/3/22 को पेश हो।	
[illegible]	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. ओ. साहब ......[illegible]...... पत्रावली दि0 [illegible] को पेश हो।	

Scanned with CamScanner

28/5/22 बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है पत्रावली दिनांक 10/5/22 को पेश हो

10/5/22 वकील सायल उपस्थित गैरसायल-1 व रजिस्टर्ड प्रमाण की रसीद पेश। गैरसायल उपस्थित तथा गैरसायल 2 की भांति से मांगा गया यानी उपस्थित पत्रावली जवाबदावा व जवाब हेतु दिनांक 23/6/22 को पेश हो

23/6/22 वकील सायल उपस्थित गैरसायल-1 की व उपस्थित नहीं गैरसायल 2 ने जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली दिनांक 21/7/22 को पेश हो

21/7/22 वकील सायल उपस्थित गैरसायल संख्या 2 ने जवाब हेतु समय चाहा शेष की तामील हेतु कि रजिस्टर्ड प्रमाण बाद में पेश हो चुकी पत्रावली दि 21/9/22 को पेश हो

26/7/22 वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई वकील सायल ने निवेदन किया कि वह अपने प्रार्थना पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहता खारिज फरमावें।
सायल स्वयं के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

LTI

Scanned with CamScanner